

(13)

Delhi

Court No. 2

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2012

का.आ. 45(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11(9) के तहत कार्य संचालन के लिए अपर सत्र न्यायाधीश-01, नई दिल्ली, पटियाला हाउस न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण विशेष न्यायालय में "अपर न्यायाधीश" अर्थात् जिला न्यायाधीश-IV-सह-अपर सत्र न्यायाधीश प्रभारी, नई दिल्ली पुलिस जिला, पटियाला हाउस न्यायालय के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस-VI (IV)]

धर्मन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2012

S.O. 45(E).—In exercise of the powers conferred under Section 11(6) of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government hereby appoints the Additional Sessions Judge-01, New Delhi Patiala House Courts, as "Additional Judge" to the NIA Special Court i.e., the District Judge-IV-cum-Additional Sessions Judge in-charge, New Delhi Police District, Patiala House Courts for conducting the business under Section 11(9) of the above said Act.

[F. No. 17011/50/2009-IS-VI (IV)]

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.